IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अवध विहार वृत्त

भू-तल हाल सं0-1, आफिस काम्पलेक्स,
सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
E-mail-circleavadhvihar@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरोIS 15700

मानक: पथप्रदर्शक:
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्र सं0 / 4-12 / दिनाँक

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में सक्षम स्तर से निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से दिनांक 05.04.2024 के अपरान्ह 04.00 बजे तक ई-टेण्डर पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट **http://etender.up.nic.in.**के माध्यम से टू-बिड पद्धति/एकल बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाती है, जिसकी तकनीकी बिड/निविदा प्रपत्र उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 06.04.2024 के अपरान्ह 03.00 बजे खोली जायेगी। आमंत्रित निविदा की तकनीकी/वित्तीय बिड का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+जी0 एस0 टी0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	आर0टी0जी0एस0 हेतु खाते का विवरण
1	2	4	5	6	7	9
1	अवध विहार योजना, लखनऊ में नोड-15 के निकट निर्मित आर0ओ0बी0 से नोड-16ए के मध्य 45.00 मी0 चौड़ी सड़क, ट्रंक ड्रेन एवं सर्विस लेन का निर्माण कार्य।	261.85	5.24	4500.00+18% GST कुल धनराशि 5310.00	06 माह टू- बिड पद्धति	**Name of A/C Holder** Executive Engineer Construction Division Lucknow-08, UPAVP, Anchor shop-1, 2 & 3, Awadhshilp Gram, AwadhViharYojna, Lucknow **Account Detail** Bank of Baroda, R.S.M. Nagar, Branch, Lucknow **Account No. 77290100016067** **IFS Code No. BARB0VJRSMN**
2	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-09 के आन्तरिक विकास कार्य के अन्तर्गत सीवर, जलापूर्ति एवं नालियों/पुलियों का निर्माण कार्य।	194.27	3.90	4500.00+18% GST कुल धनराशि 5310.00	06 माह टू- बिड पद्धति	**Name of A/C Holder** Executive Engineer Construction Division Lucknow-09, U.P.Housing & Development Board, Office complex, Vrindavan Yojna, Lucknow **Account Detail** Bank of India, Indira Nagar, Lucknow. **Account No. 685210[illegible]10002201** **IFSC Code. BKID0006852**
3	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-09 में 12.00 मी0, 18.00 मी0 एवं 24.00 मी0 चैड़ी आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य।	630.60	12.61	7500.00+18% GST कुल धनराशि 8850.00	09 माह टू- बिड पद्धति	

अ-निविदा प्रपत्र की लागत तथा धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।

ब-निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट **http://upavp.in**के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की वेबसाइड http://etender.up.nic.in. परदेखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मो द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

निविदा से सम्बन्धित विवरण

1	ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनाँक **05.03.2024**
2	निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.03.2024 को अपरान्ह 03.00 बजे तक
3	निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनाँक 15.03.2024 को अपरान्ह 03.30 बजे से दिनाँक 05.04.2024 अपरान्ह 02.00 बजे तक
4	बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनाँक 15.03.2024 को अपरान्ह 03.30 बजे से दिनाँक 05.04.2024 अपरान्ह 04.00 बजे तक
5	तकनीकी बिड खोलने का स्थान तिथि एवं समय	**क्र0सं0-01 के लिये** कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, एंकर शांप नं0 1, 2 व 3 अवध शिल्पग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ। **क्र0सं0- 02 एवं 03 के लिये** कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-09, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ। सभी निविदायें **दिनाँक** 06.04.**2024** को अपरान्ह 03.00 बजे।
6	वित्तीय बिड खोलने की तिथि समय व स्थान	तकनीकी बिड परीक्षणोंपरान्त http://etender.up.nic.in. पर सूचित की जायेगी।

क्रमशः-2

सामान्य शर्तेः-

1. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
2. उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम-24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन के बाद एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा।
3. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
4. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।
5. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि परिषद के नवीनतम कार्यालय आदेश के अनुरुप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08 एवं 09, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
6. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
7. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
8 अ. निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
   ब. निविदादाता के सभी देयकों से कार्य की लागत पर देय आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
   स. कार्य की लागत में जीएसटी को छोड़कर समस्त कर सम्मिलित है। तद्समय देय जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।
9. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
10. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी इस हेतु कुल कार्य लागत का 1% जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
11. समस्त कार्य उ0प्र0लोक निर्माण विभाग/ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 जल निगम/ MORT&H की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करायें जायेंगे।
12. जी0पी0डब्ल्यू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
13. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की प्रगति निर्धारित **"बार चार्ट"** के अनुसार होनी चाहिए।
14. परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थाई धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में जमा करनी होगी, अन्य शासकीय विभागों में सक्षम स्तर से निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को वाँछित धरोहर धनराशि खाता में जमा होने की पुष्टि होने के उपरान्त ही निविदा पर विचार विमर्श किया जायेगा।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
16. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above)अंकित न होने पर कम (Below) माना जाएगा।
17. शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी**0**ओ**0**क्यू**0** से Below देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-
   (क) 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।
   (ख) 10प्रतिशत से अधिक Below तक दर पर 1.00प्रतिशत प्रति 1.00प्रतिशत कम Below दर पर।
18. फर्म द्वारा सूचित की गयी स्वामित्व वाली टी0एण्डपी0 के नवीनतम पंजीकरण प्रपत्र भी सूची के साथ उपलब्ध कराया जाना वाँछित है।
19. निविदा प्रपत्र के साथ ही टी0-4, टी0-5 अर्थात वैध चरित्र प्रमाण पत्र लोड करना अनिवार्य है।
20. क्रमांक-01एवं 03 पर अंकित कार्य हेतु स्वंय का हाट मिक्स प्लान्ट, फ्रन्ट इन्ड लोडर, सेन्सर पेवर फिनिशर, रोलर (वाँछित क्षमता), टिपर, जनरेटर सेट (वाँछित क्षमता), मोटर ग्रेडर तथा सड़क निर्माण सम्बन्धी अन्य टी0 एण्ड का फर्म/ठेकेदार के नाम सेस्वामित्व होना आवश्यक है तथा सड़क के निर्माण कार्य का अनुभव रखना अनिवार्य है। सड़क कार्य हेतु हॉट मिक्स प्लान्ट से स्थल जहां सड़क की सतह का निर्माण किया जाना है, की अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर निर्धारित का जाती है, उसके लिये प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सतह निर्माण स्थल (Laying Site) पर तारकोल व बजरी के मिश्रण का तापमान इन्डियन रोड कांग्रस की विशिष्टियों में दर्शायी गई सीमा से कम नही होगा।
21. क्रमांक-02 पर अंकित कार्य हेतु सीवर, जलापूर्ति एवं नालियों/पुलियों से सम्बन्धी कार्य का अनुभव रखना अनिवार्य है।
21. कार्य हेतु फर्म द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर एफिडेविड के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार ही लिक्विड एसेट की गणना प्रभावी मानी जायेगी।
22. फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
24. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 679 / 3प्र्व /23 तददिनाँक 04.3.2024

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः-

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त/लखनऊ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,104 महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता(तक0),अवध विहार वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता